

संख्या: आई-21023 / 36 / 2018-आई0पी0एस0.4
भारत सरकार / गृह मंत्रालय
पुलिस - 1 प्रभाग (आई0पी0एस0-4 अनुभाग)

कमरा नं0 220, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001, दिनांक: 26 जून, 2018

सेवामें,

श्रीमती वीना कुमारी,
पत्नी श्री देवी सिंह केन,
म0न0-8, शकुंतला नगर, गढी भदौरिया, पो0-जगदीशपुरा
आगरा (उ0प्र0) 282010

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना चाहने बावत ।

महोदया,

कृपया अपने दिनांक 23.05.2018 का आर.टी.आई. आवेदन पत्र, जो कि आर0टी0सैल गृह मंत्रालय की सी0आर0 सं0.1259304 दिनांक 25.05.2018 में तहत दिनांक 13.06.2018 को आई0पी0एस0.4 अनुभाग में प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लें, जिसके तहत आपने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जानकारी मांगी है ।

2. आर0टी0आई0 आवेदन में वांछित जानकारी का प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है :-

बिन्दु (क) व (ख) - के तहत मांगी गई जानकारी आई0पी0एस0-4 अनुभाग, पुलिस 1 डीवीजन के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है । अतः आपका आर.टी.आई. आवेदन पत्र बिन्दु (क) व (ख) के प्रत्युत्तर हेतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को धारा 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत स्थानांतरण किया जा रहा है ।

बिन्दु (ग) - के तहत मांगी गई जानकारी आई0पी0एस0-4 अनुभाग, पुलिस 1 डीवीजन के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है । अतः आपका आर.टी.आई. आवेदन पत्र बिन्दु (ग) के प्रत्युत्तर हेतु केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, संघ लोक सेवा आयोग को धारा 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत स्थानांतरण किया जा रहा है ।

बिन्दु (घ)-आई0पी0एस0 अधिकारियों की ड्युटियों से संबंधित है और यह आई0पी0एस0-4 अनुभाग के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है । आई0पी0एस0 अधिकारी नियुक्ति उपरान्त उन्हें आंबटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में नियम/शासनादेशों के अनुसार दायित्वों को निर्वहन करते हैं ।

लगातार.....2.....

बिन्दु(ड.)- आई0पी0एस0 अधिकारियों को चयन उपरान्त उसको उसका होम स्टैट कैंडर दिये जाने के संबंध में संबंधित नियमावली की छायाप्रति मांगी गई है, जो कि डी0ओ0 पी0 एण्ड टी0 के ओफिस मेमोरण्डम दिनांक 05.09.2017 के तहत जारी की गई है जो कि इसके साथ संलग्न करके आपको प्रेषित की जा रही है ।

3. अतिरिक्त सचिव (पुलिस-1), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली इस संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी है ।

भ व दी य,

अंजन

(अंजन सरकार)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी व भारत सरकार के अवर सचिव
दूर भाष : 011-23094916

प्रति :-

1. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, एस.वी.पी. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, को आर.टी.आई. आवेदन पत्र की प्रति सहित धारा 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि आवेदक को बिन्दु (क) व (ख) का प्रत्युत्तर सीधेतौर पर उपलब्ध करवाया जाये ।
2. अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (परीक्षा) धौलपुर हाउस, शाहजंहा रोड नई दिल्ली को आर.टी.आई. आवेदन पत्र की प्रति सहित धारा 6 (3) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि आवेदक को बिन्दु (ग) का प्रत्युत्तर सीधेतौर पर उपलब्ध करवाया जाये ।
3. व्यक्तिक सहायक, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी व अवर सचिव (पुलिस-1) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. ✓ एस.ओ.(आई.टी), गृह मंत्रालय के वेबसाईट पर डालने हेतु ।